9/15

भारत गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

Sub Registrar Officer

ONE HUNDRED RUPEES

HAIDERGARH
BARABANKI

INDIA

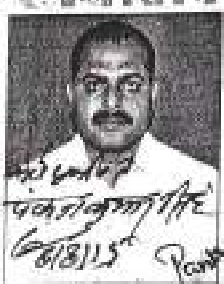

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 265576

Pankaj Kumar Singh

न्यास विलेख

स्टाम्प शुल्क 800/— रुपये

मैं पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम–गढ़ी सतरही, पो0–हैदरगढ़, तहसील–हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी (उ0प्र0), जिसको इस विलेख में संस्थापक न्यासकर्ता व मुख्य न्यासी कहा गया है। इस विलेख के द्वारा एक न्यास कायम कर रहा हूँ जिसका नाम विश्वज्योति एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट होगा।

मुख्य न्यासकर्ता की इच्छा है कि वह अपने जीवनकाल में उपरोक्त नामांकित न्यास स्थापित कर न्यास के माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च व्यावसायिक शिक्षा एवं अन्य शैक्षिक संस्थाएं, आवासीय विद्यालयों, चिकित्सालयों, डिस्पेंसरियों आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प है। न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली जन सेवाओं का सर्वधर्म सुखाय एवं सर्वधर्म हिताय लोगों की सहायता एवं सभी जाति समुदाय को कार्य करने व उनके जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए एवं सामाजिक, आर्थिक, एवं नैतिक विकास के कार्यों को सम्पादन करने के लिए उपयोग किया जायेगा। न्यास के गठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गयी हैं।

1. यह कि न्यास का गठन रुपया 11,000 से आरम्भ किया जा रहा है। भविष्य में न्यास की सम्पत्ति नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो न्यासीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त न्यास की चल व अचल सम्पत्ति को न्यासीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए उपयोग करेंगे।
2. न्यास का कार्यक्षेत्र :— न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
3. न्यास का कार्यालय :— यह कि संस्थापक न्यासकर्ता द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–गढ़ी सतरही, पोस्ट–हैदरगढ़, तहसील–हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी (उ0प्र0) में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने एवं उसके उद्देश्यों की सुगमतापूर्वक पूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शाखाएं देश एवं प्रदेश के अन्यान्य स्थानों पर भी स्थापित की जायेगी, और उन कार्यालयों के पते पर उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Sub Treasury Officer

CN 959839

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] पूंजी तथा अन्य चल–अचल सम्पतियों को शिक्षा संवर्द्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशाला की स्थापना, संचालन आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे। न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्‌देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि मैं पंकज कुमार सिंह (मुख्य न्यासी) अपने जीवनपर्यन्त उपरोक्त न्यास का मुख्य न्यासी रहूँगा। तथा न्यास के द्वारा सम्पादित होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं तथा शिक्षण संस्थाओं की समिति/प्रबन्धकारिणी समिति में प्रबन्धक/सचिव पद पर आजीवन बना रहूँगा तथा मेरा यह पद पारिवारिक वंशानुक्रम से चलता रहेगा।

6. न्यास के उद्येश्य :–

1. प्रस्तुत प्रलेख के अन्तर्गत गठित किए जा रहे इस न्यास का मुख्य उद्येश्य जन समुदाय के सामाजिक, नैतिक, मानसिक, चारित्रिक, शैक्षिक, कलात्मक, अध्ययनात्मक, बौद्धिक विकास करना है कि न्यास के अन्तर्गत सामाजिक उत्थान एवं विकास शिक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता की दृष्टि से सम्पादित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रमों का तथा स्थापित किए जाने वाली संस्थाओं को जनहित में बिना लाभ के संचालित किया जायेगा।
2. नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, (हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम) ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन हेतु डिग्री कालेज, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेज, मेडिकल कालेज, डेन्टल कालेज की स्थापना करना व संचालन करना तथा सम्बन्धित विभाग से मान्यता एवं अनुदान प्राप्त करना।
3. लड़के व लड़कियों के लिए अलग–अलग व संयुक्त विद्यालय व महाविद्यालय व विश्वविद्यालय व अन्यान्य प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
4. शिक्षा व व्यवसाय व इंजीनियरिंग के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालय व महाविद्यालय स्थापना व संचालन करना।
5. समिति के माध्यम से समाज कल्याण उ.प्र. केन्द्रीय एवं राज्य विकास मंत्रालय, नारी कला केन्द्र, द्वारा संचालित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CN 959838

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जयन्ती ग्राम स्वरोजगार ग्राम विकास योजना एवं बाल विकास परियोजनाओं के संचालन में सहयोग प्रदान करना, तथा महिला समूह का गठन करना एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना, तथा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट, नाबार्ड, यूनीसेफ, सिफसा, सूडा–डूडा, हेल्पज इण्डिया, एपेक्स इण्डिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाई जा रही योजनाके क्रियान्वयन में सहयोग करना व उनका प्रचार–प्रसार करना।

6. निर्धन, निराश्रित, पिछड़े, दृष्टिहीन, मूक–बधिर, कुष्ठ, विकलांग, पिछड़ा वर्ग महिलाओं तथा बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, भोजन, वस्त्र एवं पुस्तकीय सहायता उपलब्ध कराना।

7. स्वरोजगार करने हेतु महिलाओं–पुरुषों को कम्प्यूटर शिक्षण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ललित कला, शिल्प कला, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

8. समाज के निर्बल एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों हेतु शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित कराकर रोजगारपरक बनाना।

9. जन सामान्य के नैतिक मूल्यों में सुधार हेतु छुआछूत, जातिवाद, बालश्रम, बाल विवाह प्रथा, महिला उत्पीड़न, भिक्षावृत्ति, युवकों में धूम्रपान, मदिरापान आदि के निवारण हेतु जागरूकता शिविरों–सेमिनारों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना व गरीब वयस्क युवकों–युवतियों हेतु दहेजरहित सामूहिक विवाह का आयोजन करना।

10. जन सामान्य के बेहतर स्वास्थ्य हेतु समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, टीकाकरण प्रतिरक्षण शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर को निःशुल्क आयोजित करवाना व विश्व एड्स दिवस एवं विभिन्न प्रकार के वेलफेयर कार्यक्रमों को समय–समय पर करवाते रहना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे शिशु कल्याण, मातृत्व कल्याण, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन आदि के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना एवं विभिन्न प्रकार की जानलेवा

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BA 628010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बीमारियों जैसे एच.आई.वी., एड्स, कैंसर, टी.बी., हार्ट डिजीज, हेपेटाइटिस बी, रक्तचाप, मलेरिया, लेप्रेसी, मधुमेह, कुष्ठ, नेत्र विकार, पीलिया, ल्यूकोरिया आदि की पहचान व रोकथाम हेतु निःशुल्क नर्सिंग होम, अस्पताल, जागरुकता शिविरों का आयोजन करना एवं भारतीय उपचार पद्धति, तिब्बती योग, स्पर्श उपचार, तथा अन्य सभी प्रकार की उपचार पद्धतियों का निःशुल्क प्रचार–प्रसार करना और सम्बन्धित केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात् करना तथा जन हितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए शार्ट स्टे होम आदिकी स्थापना शासन की अनुमति के पश्चात् करना।

11. शहरी ग्रामीण क्षेत्रों एवं बस्तियों के विकास सुधार व सफाई हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम तथा बोर्ड सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सहयोग से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तथा मलिन बस्तियों में शौचालय, सड़क, नाली, हैण्डपम्प इत्यादि के क्रियान्वयन में सहयोग करना तथा पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपड़, पार्कों/उद्यानों के विकास, पौधशाला, जलसंचय, उद्यान संरक्षण, स्वजलधारा, स्वच्छ पेयजल, ग्राम सफाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, पुष्टाहार, मलिन बस्ती विकास, हरियाली कार्यक्रम, बागवानी विकास, पशु–पक्षी संरक्षण, स्वच्छता जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार कर क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

12. शिक्षा के प्रचार–प्रसार प्रबन्धन व उन्नयन हेतु सम्बन्धित विभागों/तकनीकी बोर्ड एवं शिक्षा विभागों की अनुमति के पश्चात् विद्यालय/स्नातक/परास्नातक विद्यालयों/ शिक्षण संस्थानों आवासीय विद्यालयों, विकलांग विद्यालय, औद्योगिक विद्यालय, कृषि कालेज, मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल कालेज, प्रबन्धकीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि की व्यवस्था करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय सम्बन्धित विभाग एवं समय–समय पर निर्गत होने वाले तत्सम्बन्धी शासनादेशों का पालन करना तथा मेधावी गरीब, गरीब, अनाथ छात्र/छात्राओं को निःशुल्क सभी स्तर की शिक्षा भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा शासन के नियमानुसार उपलब्ध कराना।

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 628009

13. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं / समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना, प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाइयों गठित करना एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना।

14. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से निर्धारित शुल्क प्राप्त करना तथा कार्यक्रमों के आयोजनों तथा संस्थाओं के लिए न्यास के सम्मानित सदस्यों से चन्दा लेना एवं उसका ब्यौरा रखना।

15. न्यास की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने का प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार स्थानान्तरित करना।

16. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उनके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

17. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं/विद्यालयों शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार की नियुक्ति कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

18 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्पत्तियों की व्यवस्था करना तथा न्यास द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु सरकार/ अर्धसरकारी/ गैर सरकार विभागों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार चेरीटेबुल संस्थाओं– न्यासों, विश्वविद्यालयों/ अकादमिक संस्थाओं भारतीय उद्योग और देश एवं विदेश में रहने वाले व्यक्तियों तथा अन्य निजी, सार्वजनिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ऋण, सहयोग, दान तथा अनुदान प्राप्त करना तथा सुसंगत कार्यक्रमों संस्थाओं के संचालन एवं न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यय करना।

19. शैक्षिक किताबों पेपर (साप्ताहिक, दैनिक, समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन करना। लाइब्रेरी रीडिंग रूम तथा हास्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BA 628008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH सरकार नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेंचाइज बनाकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त न्यास के द्वारा सरकारी अध्यापकों कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना, तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीद कर देना तथा उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवाना।

21. समय–समय पर विभिन्न समस्याओं का जनमानव के विचारों को जानने के लिए प्रारुप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।

22. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना/प्राप्त करना तथा उन्हें क्रय–विक्रय करना तथा हस्तांतरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना।

23. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

24. यह कि धर्मशाला एवं मन्दिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग का लाभ हो सके।

25. भारतीय संविधान की धारा 3 (1) के अन्तर्गत विद्यालय शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं को खोलकर सभी समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराना।

7. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था :–

1. यह कि मैं पंकज कुमार सिंह (मुख्य न्यासी) न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के न्यासी के रूप में नामित करता हूँ। मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित न्यासियों से मैंने न्यास के उद्येश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रुप से न्यास मंडल कहा जायेगा। भविष्य में भी मुख्य न्यासी के रुप में मेरे द्वारा स्वविवेक से अन्य लोगों को न्यास मंडल में न्यासी के रूप में नामित किए जाने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित होगा। न्यास की व्यवस्था को सुचारु रुप से संचालित करने हेतु न्यास मंडल के सदस्यों में से पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सर्वसम्मत से गठन किया गया। जिसके अनुसार मुख्य न्यासी श्री पंकज कुमार सिंह निवासी ग्राम–गढ़ी सतरही,पो0–हैदरगढ, तह0–हैदरगढ,जिला–बाराबंकी, उपरोक्त न्यास के

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 628007

प्रबंधक/सचिव होंगे व श्री सुनील कुमार सिंह सुपुत्र श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम परेवां अटरिया, पो0–गोपालापुर, तह0–मड़ियाहुँ, जिला–जौनपुर, उपप्रबन्धक/उपसचिव होंगे व श्रीमती जूही सिंह पत्नी श्री पंकज कुमार सिंह निवासी ग्राम–गढ़ी, सतरही,पो0–हैदरगढ़, तह0–हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी, उपरोक्त न्यास के अध्यक्ष होंगी व श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री सुनील कुमार सिंह निवासी ग्राम परेवां अटरिया, पो0–गोपालापुर, तह0–मड़ियाहुँ, जिला–जौनपुर उपाध्यक्ष होंगी व श्री अजय कुमार सिंह सुपुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम परेवां अटरिया, पो0–गोपालापुर, तह0–मड़ियाहुँ जिला–जौनपुर कोषाध्यक्ष होंगे व श्री सिबी ऑगस्टिन सुपुत्र श्री ऑगस्टिन निवासी नडक्कल हाउस थुलापल्ली पो0–वट्टाप्परा जिला–पठानामथिट्टा केरला आडिटर होंगे व प्रवीन आनन्द पुत्र भोलानाथ निवासी ए–377 आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता कानपुर सदस्य होंगे।

उपरोक्त न्यास के प्रबन्धक/सचिव व अध्यक्ष का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा। प्रबन्धक/सचिव व अध्यक्ष का कभी चुनाव नहीं होगा और न ही कोई सदस्य व पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिए कोई कानूनी कार्यवाही ही करेंगे। उपरोक्त दोनों पदाधिकारी अपनी इच्छा से त्यागपत्र देकर न्यास मंडल के किसी अन्य पदाधिकारी व सदस्य को अपने पद पर मनोनीत करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारियों व सदस्यों के त्यागपत्र व अन्य कारण से रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धक/सचिव व अध्यक्ष की सहमति से न्यास मण्डल में से किया जायेगा।

2. न्यास अन्य किसी भी सोसायटी/न्यास की सहमति से उसके परिसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एव कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समविलय की तिथि से उस सोसायटी/न्यास का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और उसके अधिकार/परिसम्पत्ति एवं दायित्व न्यास में निहित समझे जायेंगे।

3. न्यास द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था/शिक्षण संस्थान के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जिसका प्रबन्धक/सचिव एवं अध्यक्ष न्यास का अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव होगा।

4. न्यास द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की सम्पत्ति (चल/अचल) न्यास की सम्पत्ति समझी जायेगी। न्यास किसी भी उपयोग में ला सकेगा। न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं को ट्रस्ट के हित में बन्धक रख सकता है [illegible]

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BA 628006

[illegible] से आवश्यक शपथ पत्र/प्रति शपथ पत्र या विलय पत्र [illegible] सहमति से न्यास की ओर से अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।

5. न्यास अपने उद्येश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा। संस्थाओं के संचालन एवं भवन निर्माण के लिए दान/चन्दा और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

6. न्यास के उद्येश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था न्यास मण्डल द्वारा सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाले विभिन्न इकाइयों के सुचारु रूप से प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए समिति एवं उपसमितियों का गठन किया जायेगा। गठित होने वाली प्रत्येक समिति/उपसमिति/प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि का अध्यक्ष मुख्य न्यासी होगा। जिसे प्रबन्धक/सचिव के पद के नाम से भी जाना जायेगा इस न्यास के अन्तर्गत गठित होने वाली प्रत्येक उपसमिति /समिति /प्रबन्ध समिति / प्रबन्ध मण्डल इत्यादि के कार्यकारी अधिकार एवं वित्तीय अधिकार प्रबन्धक/सचिव में निहित होंगे।

7. न्यास की बैठक सामान्यतया वर्ष में 2 बार होगी। अर्थात् छः माह में आवश्यक रूप से सम्पन्न की जायेगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह की बैठक भी की जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में किसी भी समय बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक हेतु न्यासमण्डल के सदस्यों को सूचना देने पर माध्यम संदेश पंजिका/पत्र/ईमेल/मोबाइल फोन होगा। सामान्यतया बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व प्रेषित कर दी जायेगी। किन्तु आकस्मिक स्थिति में 24 घण्टे के अन्दर सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकती है।

8. बैठक का कोरम न्यास मण्डल के 50 प्रतिशत न्यासी के अतिरिक्त एक अन्य न्यासी की उपस्थिति पर पूर्ण माना जायेगा। सामान्यतया न्यास मण्डल के बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे।

9. न्यास मण्डल के सभी निर्णय सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जायेंगे। न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं संगठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तों एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के निर्णयाधीन होगा। इसी

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 628005

प्रकार न्यास मंडल के निर्णय से न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाले किसी भी कार्यक्रम/संस्था में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के निलंबन एवं समाप्ति का अधिकार भी न्यास मण्डल को होगा।

10. न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रमों एवं संस्थाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए नियमानुसार यथावांछित समितियों/प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण तत्सम्बन्धी नियोक्ता संस्थाओं, शासन प्राधिकरण के अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार अलग–अलग नियमावली बनाकर तथा उपनियमों का निर्माण करके किया जायेगा। जिसका अनुमोदन सम्बन्धित नियामक संस्था, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जायेगा। न्यास मण्डल का विधिवत गठन हो जाने के उपरान्त उक्त समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन अधिनियमों के अन्तर्गत न्यास मण्डल के निर्णयों से प्रभावी माना जायेगा। तथा उसे उक्त कार्यक्रम/संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जायेगा। न्यास मण्डल को किसी भी संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

11. न्यास के कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्य न्यासी आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी/प्रबन्धक/सचिव पद से जाना जायेगा। साथ ही साथ न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने वाली समिति/उपसमिति/प्रबन्ध समिति में मुख्य न्यासी प्रबन्धक /सचिव पद से जाना जायेगा जो सदैव अपने पद पर बना रहेगा। जिसके लिए कोई चुनाव नहीं किया जायेगा एवं पारिवारिक वंशानुक्रम में चलता रहेगा।

12. न्यास के मुख्य न्यासी पंकज कुमार सिंह प्रबन्धक/सचिव मेरे न रहने के बाद श्रीमती जूही सिंह पत्नी पंकज कुमार सिंह आरोही क्रम में उक्त न्यास के मुख्य न्यासी होंगी तथा मुख्य न्यासी के उपरोक्त सभी अधिकारों का उपयोग करेंगी।

8. न्यास के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

1. अध्यक्ष : न्यास के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, न्यास की बैठक समय से बुलाने व न्यास को सुचारु रूप से संचालन करने के लिए प्रबन्धक/सचिव को सुझाव व सहयोग प्रदान करना।

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 949940

[illegible] क्रियाकलाप प्रबंधक/सचिव की सलाह से करना। न्यास एवं संस्थाओं के हित में कार्य करना।

2. उपाध्यक्ष:अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्यों को करना किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किए गए कार्य तभी वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा करा लिया जायेगा।

3. प्रबन्धक/सचिव :

1. न्यास एवं न्यास द्वारा स्थापित समस्त संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं का संचालन करने हेतु भूमि, भवन क्रय करने की व्यवस्था करना।

2. न्यास एवं संस्थाओं की ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने पद नाम से खाता खोलकर दान, चन्दा, ऋण एवं अनुदान प्राप्त करना एवं उसका उपयोग न्यास एवं संस्थाओं के हित में करना।

3. न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के विकास एवं संवर्द्धन हेतु समस्त आवश्यक क्रियाकलाप करना।

4. उपप्रबन्धक/उपसचिव : प्रबन्धक की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की सलाह से प्रबन्धक/सचिव के समस्त आवश्यक कार्यों को करना।

5. कोषाध्यक्ष : न्यास की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। न्यास समस्त व्यय जो अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव द्वारा सत्यापित हो उसको अनुमोदित कराकर भुगतान कराना। न्यास के बैंक खातों का संचालन आवश्यकतानुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्धक द्वारा होगा अथवा अध्यक्ष व प्रबन्धक/सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जायेगा।

6. आडीटर : न्यास/संस्था से सम्बन्धित विभिन्न पत्राजात व पत्रावलियों को प्राप्त करना व निस्तारण हेतु प्रबन्धक/सचिव द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित विभाग को निर्गत करना एवं नियमानुसार आडिट कराना।

7. सदस्य : न्यास की बैठकों में उपस्थित होकर न्यास के हित में अपनी सलाह न्यास मण्डल को देना।

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

24AA 949939

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. न्यास की सर्वोच्च शक्ति प्रबंधक/सचिव में निहित रहेगी।

9. न्यास का कोष एवं वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था :– न्यास की स्थापना के उपरान्त मूल रूप से उपलब्ध कराए गए 11,000/– रुपये के अतिरिक्त धन को दान, अनुदान तथा सम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी –

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा। जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क लाभार्थियों द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क दान, अनुदान, वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों के प्राप्त व्यक्तिगत ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त की जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोष माना जायेगा।

2. न्यास मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय एवं सहमति से वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाई जा सकेगी। न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए खाता/खाते किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/मान्यता प्राप्त /डाकघर में ही खोला जाय। इस प्रकार खोले जाने वाले खातों के संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को स्वयं एकल रूप से अथवा किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से करने का अधिकार होगा। बैंक व वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से ऋण, अनुदान आदि के सम्बन्ध में चल/अचल सम्पत्ति बंधक व गिरवी रखने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा। तथा इसके सम्बन्ध में की गयी औपचारिकता मुख्य न्यासी के हस्ताक्षर के द्वारा की जायेगी।

3. किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए चन्दे/दान की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाले चल/अचल सम्पत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी तथा बन्धक रखने का अधिकार मुख्य न्यासी/प्रबन्धकीय सचिव होगा। दान देने वाले व्यक्ति व उसके उत्तराधिकारियों एवं वंशजों को दान दी हुई सम्पत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा। तथा स्वामित्व न्यास /मुख्य सचिव में ही निहित रहेगा।

4. न्यास के आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व

Pankaj Kumar Singh

24AA 949938

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुख्य न्यासी का होगा। जिसे आवश्यकतानुसार चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सम्प्रीक्षा हेतु निर्धारित नियमानुसार लेखा वर्ष की समाप्ति पर सम्प्रीक्षित कराया जायेगा तथा न्यास का बजट प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति के पूर्व न्यास मण्डल की बैठक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

5. विभिन्न वित्तीय संसाधनों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर व्यय करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं में संलग्न अधिकारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों इत्यादि के पारिश्रमिक एवं वेतन का भुगतान समय से किए जाने का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

6. मुख्य न्यासी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों से पूर्णरूप से अथवा सीमित रूप से हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। तथा इस निमित्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यक्रमों/संस्थाओं /प्रबन्ध समितियों के नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खोलने एवं बन्द करने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

7 इस न्यास के अन्तर्गत सरकार से अनुदानित एवं संचालित होने वाली किसी भी संस्था को वित्तीय व्यवस्था आय–व्यय तथा वेतन भुगतान इत्यादि की व्यवस्था न्यास मण्डल की अनुमति से तत्सम्बन्धी शासकीय नियमों के अन्तर्गत किए जाने की व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

10. **न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था : न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी–**

1. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उस पर भी इस न्यास के अन्तर्गत निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी।

2. न्यास की ओर से न्यास की सम्पत्तियों सम्बन्धी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी मुख्य रूप से अधिकृत होगा। आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य न्यासी को भी अधिकृत कर सकता है।

3. न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय करने अथवा विक्रय करने चल/अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहण करने

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 949937

के लिए आवश्यक कार्यवाही मुख्य न्यासी कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सर्वसम्मति से न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर जनहित के कार्य हेतु देने अथवा निर्धन अथवा दुर्बल व्यक्ति को दान स्वरूप अथवा किराये पर अथवा पट्टे पर देने का निर्णय न्यास मण्डल की सर्वसम्मति से होगा।

4. न्यास की किसी भी अचल सम्पत्ति को सामान्यतः बेचने अथवा किसी व्यक्ति को सर्वाधिकार के साथ हस्तांतरित करने का अधिकार किसी भी न्यासी/व्यक्ति को नहीं होगा। यह अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

5. न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संचालित कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठित समितियों एवं प्रबन्ध समितियों तथा न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध न्यास मण्डल के निर्णय से की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही की अपील प्रथमतः मुख्य न्यासी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी तथा न्यासी द्वारा उक्त अपील की सुनवाई करके लिया जाने वाला निर्णय अन्तिम होगा।

6. न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली किसी भी संस्था अथवा उसकी प्रबन्ध समिति के किन्हीं कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल/अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी को उस पर पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबन्ध समिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उस संस्था की चल/अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा /अधिकार मान्य नहीं होगा। जब तक कि भंग प्रबन्ध समिति के स्थान पर विधिक रूप से स्थापित दूसरी प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त न हो पाये।

7. न्यास द्वारा अथवा न्यास के विरुद्ध योजित किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अन्य न्यासी द्वारा सम्पन्न की जा सकेगी।

8. न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन पर / संविदा पर स्थायी रूप में करेगा। तथा न्यास मण्डल न्यास के ही

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 949936

सद्भाव के ... की पूर्ति में सहायक हो।

11. न्यास के अभिलेख :– न्यास के अभिलेखों को तैयार करने, कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ... मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा। लिहाजा बदुरुस्ती होश हवास में बिना किसी जबरदस्ती व दबाव के अपनी खुशी व रजामंदी के गठन व स्थापना में बावत यह न्यास विलेख निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे व वक्त पर काम आए। न्यास द्वारा स्थापित संचालित एवं संबद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमावली (प्रशासन योजना) निम्नलिखित रूप में होगी–

1. नियमावली :

1. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष
2. संस्था के उद्देश्य : न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार।
3. संस्था की सदस्यता : न्यास मण्डल के मुख्य न्यासी तथा न्यासी एवं मुख्य न्यासी की सहमति से बनाए गए अन्य लोग साधारण सभा के सदस्य माने जाएंगे।
4. सदस्यता की समाप्ति : किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारणों से स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

अ. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर
ब. पागल अथवा दीवालिया हो जाने पर
स. किसी अपराध न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
द. संस्था के नियमों का पालन न करने पर
य. संस्था के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर
छ. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर
ज. त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर
झ. अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर

5. संस्था के अंग : संस्था के निम्नलिखित दो अंग होंगे–

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये   Rs.20

रु.20   TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   24AA 949935

1. साधारण
2. प्रबन्ध समिति

साधारण सभा :

1. गठन : न्यास के मुख्य न्यासी व न्यासी तथा मुख्य न्यासी द्वारा मनोनीत व्यक्ति संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगे।
2. बैठक : साधारण सभा की सामान्य बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार अथवा आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
3. गणपूर्ति : साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित सभा की आहूत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा। समयावधि का प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।
4. विशेष वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा के विशेष अधिवेशन वर्ष में एक बार किया जायेगा जिसकी तिथि प्रबन्धक/सचिव द्वारा निश्चित की जायेगी।
5. साधारण सभा का कार्य :

1. प्रबन्ध समिति का चुनाव करना
2. वार्षिक आय–व्यय बजट पारित करना
3. संस्था की उन्नति नीति निर्धारण करना
4. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना
5. संस्था को अपने उद्येश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक अधिकार होगा
6. संस्था के हित में संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन/परिवर्तन एवं परिवर्द्धन बहुमत से पारित करना।

7. प्रबन्ध समिति :

क. गठन

1. प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 949934

प्रबन्ध समिति का गठन न्यास मण्डल व साधारण सभा के सदस्यों की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से किया जायेगा। जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक, कोषाध्यक्ष, किन्तु प्रबन्धक/सचिव व अध्यक्ष पद का चयन साधारण सभा द्वारा नही किया जायेगा। क्योंकि न्यास का मुख्य न्यासी व अध्यक्ष ही न्यास द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्ध समिति का प्रबन्धक/सचिव व अध्यक्ष होगा। यह शर्त मुख्य न्यासी के उत्तराधिकारी पर भी लागू होगी।

3. न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समिति में उस शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य/शिक्षक व कार्यालय कर्मचारी को मिलाकर न्यूनतम 2 पदेन सदस्य/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा।

4. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगी परन्तु अगली प्रबन्ध समिति के गठन तक पिछली प्रबन्ध समिति प्रभावी रहेगी।

ख. बैठकें : प्रबन्ध समिति की बैठकें सामान्यतया वर्ष में 2 बार होगी किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति इसके अतिरिक्त भी बैठकें कर सकती हैं।

ग. सूचनावधि : प्रबन्ध समिति सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम 7 दिन पूर्व आकस्मिक बैठक 24 घंटे पूर्व सदस्यों को सूचना रजिस्टर/डाक द्वारा/दूरभाष द्वारा दी जा सकती है। दूरभाष से सूचना देने की स्थिति में बैठक के दिन कार्यवाही रजिस्टर के साथ-साथ सूचना रजिस्टर पर उपस्थिति के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य होगा।

घ. गणपूर्ति : प्रबन्ध समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 1/2 के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित कर दिया जायेगा। स्थगित बैठक को पुनः बुलाने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

च. रिक्त स्थान की पूर्ति :
प्रबन्ध समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर न्यास मण्डल/साधारण सभा के सदस्यों में से प्रबन्धक/सचिव द्वारा शेष कार्यकाल के लिए मनोनीत कर लिया जायेगा।

9. प्रबन्ध समिति के कार्य व कर्तव्य :

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 949933

क. संस्था/शिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।

ख. [illegible] बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

ग. आवश्यकतानुसार संस्था/शिक्षण संस्थान के नाम से भूमि क्रय करना व उस भवन का निर्माण कराना एवं संस्था/शिक्षण संस्थान के हित में आवश्यक क्रय–विक्रय करना एवं पट्टे पर देना।

घ. संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम व अन्य विभाग के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना व सम्बन्धित वांछित अभिलेख को एकत्र करना व प्रदान करना।

ड. राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिकता सद्भाव का आयोजन करना, समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार सम्बन्धित सभी मंत्रालय, आयोग एवं विभागों अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त निगम, उ.प्र. पर्यावरण मंत्रालय, केन्दीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, श्रम मंत्रालय, वित्त पोषक संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं से दान, अनुदान व आर्थिक सहायता ऋण व धन के रूप में प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबल कार्यों में खर्च करना। आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था की चल/अचल सम्पत्ति को बंधक / रेहन रखना।

च. संस्था/शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदान्नति व पदावनति करना।

9. प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अ. अध्यक्ष

1. समस्त अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए तिथि का अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।
3. सदस्यों के नाम एवं कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना एवं सुनना
4. बैठकों की सूचना लिखित अथवा दूरभाष द्वारा देना।

ब. सचिव/प्रबन्धक

1. संस्था/शिक्षण संस्थान का कार्यपालक होगा।
2. बैठकों के लिए तिथियों का निर्धारण करना।

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 949932

3. समान मत होने [illegible] निर्णायक मत देना।
4. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र-व्यवहार करना।
5. सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनाने की अनुमति प्रदान करना।
6. संस्था/शिक्षण संस्थान के [illegible]चारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति व बहाली करना।
7. संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित बिल व वाउचरों, अनुबन्ध-पत्रों एवं नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
8. संस्था/शिक्षण संस्थान की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
9. प्रबन्ध समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
10. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
11. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से अपने पद नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर आवश्यकतानुसार लेन-देन करना।
12. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त चल/अचल सम्पत्ति की रक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार क्रय-विक्रय करना।
13. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से अदालती कार्यवाही करना या किसी को नियुक्ति करना।
14. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त योजनाओं को चलाने का अधिकार व नियंत्रण होगा।
15. राजकीय सहायता अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
16. संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से केन्द्रीय /राज्य सरकार एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना।
17. संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर उसका पालन करना।
18. संस्था/शिक्षण संस्थान में संचालित कार्यक्रम का समय-समय पर निरीक्षण करना एवं शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के कार्यों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार दूसरे सदस्यों को वितरित

Pankaj Kumar Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 949931

1. सदस्यों के चन्दा व अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीद देना व प्राप्त धन को किसी निकटस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में सचिव/प्रबन्धक के खाते में जमा करना।
2. सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों व वाउचरों का भुगतान करना।
3. संस्था/शिक्षण संस्थान के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा उसे सचिव/प्रबन्धक से अनुमोदित कराकर न्यास मण्डल की साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
4. संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रतिवर्ष का आडिट कराकर निरीक्षण हेतु सचिव को प्रस्तुत करना।

ट. आडीटर :

संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित विभिन्न पत्राजात व पत्रावलियों को प्राप्त करना व निस्तारण हेतु सचिव / प्रबन्धक द्वारा अनुमोदन के पश्चात् सम्बन्धित विभाग को निर्गत करना।

1 संस्था/शिक्षण संस्थाओं के कोष

संस्था/शिक्षण संस्थान के समस्त सम्बन्धित कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक या डाकघर में संस्था/शिक्षण संस्थान के नाम से खाता खोलकर व यफ.डी.आर. के रूप में जमा किया जायेगा। जिसका संचालन सचिव/प्रबन्धक अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्ध समिति के किन्हीं कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल/अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जायेगी। तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर अधिकार होगा। भंग प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य का उस सम्पत्ति पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्ध समिति के स्थान पर दूसरी वैध समिति का अनुमोदन मुख्य न्यासी द्वारा न हो जाय।

Pankaj Kumar Singh गवाह

तहरीर तारीख 06.08.2015 ई.

गवाह

स्टाम्प विक्रय की तिथि 04/08/15 2559
स्टाम्प क्रय करने वाले का नाम विश्वज्योति एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
स्टाम्प क्रेता का पता

स्टाम्प की धनराशि 20/-

16

आज दिनांक **06/08/2015** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **72**

पृष्ठ सं. **181** से **218** पर कमांक **9**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राममिलन

उप निबंधक हैदरगढ़

हैदरगढ़

6/8/2015